(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 57/2018-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसंबर, 2018

सा.का.नि. ..... (अ) – जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत देश' से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित "ज़ोलाइट 4 ए" (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे 'उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम' से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 38249922, 38249090, 38249990, 28429090, 28269000, 28399090 और 28421000 के अन्तर्गत आती है, के आयात मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना सं. 6/14/2017-डीजीएडी, दिनाँक 29 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड I दिनाँक 29 अक्तूबर, 2018 में प्रकाशित किया गया है, के तहत इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि–

(क) ऐसे पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को सकारात्मक डंपिंग मार्जिन के साथ-साथ भौतिक क्षति भी थी;

(ख) पाटन और क्षति को ऑफसेट करने के लिए इस तरह के डंपिंग की आवश्यकता होती है; और

(ग) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के आयात माल पर प्रतिपाटन शुल्क लागू करना आवश्यक है;

और उन्होंने इस पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः, अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एततद्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अन्तर्गत आती है, जो कि कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है :-

क्र. सं.	शीर्ष/उप शीर्ष *	माल का विवरण	मूल या निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क धनराशि	मुद्रा	माप की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	38249922 38249090 38249990 28429090 28269000 28399090 28421000	ज़ोलाइट 4 ए (डिटर्जेंट ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	इनर मंगोलिया रिशेंग रीसाइक्लिंग रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड (आईएमआरआरआरसीएल)	टियांजिन गर्कविन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं लिमिटेड (टीजीआईटीसीएल)	163.96	अमे.डॉ.	एमटी
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चाल्को शेडोंग एडवांस मटेरियल कंपनी लिमिटेड (सीएसएएमसीएल)	चाल्को ज़िबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं लिमिटेड (सीजेआईआईटीसीएल)	165.61	अमे.डॉ.	एमटी
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चाल्को शेडोंग एडवांस मटेरियल कंपनी लिमिटेड (सीएसएएमसीएल)	चाल्को क़िंगदाओ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं लिमिटेड (सीक्यूआईटीसीएल)	163.90	अमे.डॉ.	एमटी
4	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 3 के अलावा कोई भी ।		207.72	अमे.डॉ.	एमटी

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **5** वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है**,** इसका अधिक्रमण नहीं होता है**,** या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के उद्देश्य के लिए लागू की जाने वाली विनिमय दर वही होगी जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल ऑफ इंट्री को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी ।

[फाइल संख्या 354/409/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार